न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 14/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/197

अनवान

1. रुगनाथराम पुत्र श्री हिराराम जाति बिश्नोई निवासी लाछीवाड़ तहसील सांचौर जिला जालोर।

प्रार्थी.....

1. सरकार तहसीलदार सांचौर।

अप्रार्थी.....

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 10.09.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नरसीराम उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 20.06.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का ग्राम लाछीवाड के पुराने खसरा संख्या 96 किस्म गैर मुमकिन आगोर, मे पुरानी कब्जासुदा रहवासी जायदाद स्थित है जिसमे प्रार्थी वर्षों से निवासरत् है। ग्राम लाछीवाड तहसील व जिला सांचोर के पुराने खसरा संख्या 96, रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा, किस्म गैर मुमकिन आगोर, खसरा संख्या 105 रकबा 10 बिस्वा, किस्म गैर मुमकिन रास्ता व खसरा संख्या 106, रकबा 10 बिस्वा, किस्म गैर मुमकिन उखरडा के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थी। उक्त तीनो खसरो की भूमि के नये खसरा संख्या 148 रकबा 0.30 गैर मुमकिन रास्ता व खसरा संख्या 149 रकबा 0.25 किस्म गैर मुमकिन थान के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे कायम किये गए ग्राम लाछीवाड के पुराने खसरा संख्या व रि सेटलमेंट के दौरान कायम किये गए नए खसरा संख्या, रकबा व किस्म की सारणी निम्न प्रकार है:–

पुराने खसरा	रकबा	किस्म	नए खसरा	रकबा	किस्म
96 मी.	23 बीघा 19 बिस्वा	गै. मु. आगोर	148	0.30 हे.	गै.मु. रास्ता
105	15 बिस्वा	गैर मु. रास्ता	149	0.25 हे.	गै.मु. थान
106	10 बिस्वा	गैर मु. उखरडा			

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:12 IST
Reason: SelfAttested

2. उपरौक्त सारणी मे उल्लेखित पुराने खसरा संख्या के रि–सेटलमेंट के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नये खसरा नं. कायम करते वक्त त्रुटिवश भूमि की किस्म परिवर्तित कर दी गई। उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के फिकरा

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 02 मे उपरौक्त वर्णित पुराने खसरा संख्या के रकबे का क्षेत्रफल व नये खसरा संख्या के रकबे का क्षेत्रफल भी त्रुटिवश बराबर नहीं किया गया है इसलिए उक्त रकबे का क्षेत्रफल मे कि गई लिपिकीय त्रुटि को भी दुरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व इस प्रार्थना पत्र के फिकरा संख्या 02 मे उल्लेखित पुराने खसरा संख्या से कायम किये गए नए खसरान् की किस्म दुरस्त की जावे एंव रकबा दुरस्त किया जावे।

3. हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि पुराने खसरा संख्या के रि सेटलमेंट के दौरान भू प्रबंधन विभाग द्वारा नए खसरा नंबर सर्जित करते समय त्रुटिवश भूमि की किस्म परिवर्तित कर दी गई। पुराने खसरा संख्या के रकबे का क्षेत्रफल व नए खसरा संख्या के रकबे का क्षेत्रफल भी भूलवश बराबर नहीं किया गया है, इसलिए उक्त रकबे के क्षेत्रफल में की गई लिपिकीय त्रुटि को दुरस्त करने का आदेश फरमावे।

4. हमने अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया गया उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा रिसेटेलमेंट के दौरान भू प्रबंधन विभाग द्वारा नये खसरा नंबर कायम करते समय भूमि की किस्म में परिवर्तन होना बताया है जिसे किस्म एवं रकबा दुरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है जबकि भू प्रबंधन प्रक्रिया बंद होने के पश्चात केस में परिवर्तन के अधिकार राजस्व अधिकारियों को प्राप्त नहीं है भूमि की किस्म जमाबंदी के इंद्राज का विषय है तथा भू राजस्व प्रक्रिया बंद होने के पश्चात किस्म परिवर्तन न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जा सकती है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 62 से 84 उक्त विषय के लिए सुसंगत है। उक्त धाराओं में राजस्व मंडल/जिला कलेक्टर को रेफरेंस रिवीजन की शक्तियां प्राप्त है। धारा 84 में भू राजस्व संबंधी मामलों के लिए राजस्व मंडल में रिवीजन की शक्तियां निहित की गई है अतः हस्तगत प्रकरण में भू प्रबंधन संक्रिया के पश्चात किस्म में परिवर्तन का जिला कलेक्टर के माध्यम के तहत रेफरेंस के द्वारा अथवा राजस्व मंडल की रिवीजन की शक्तियों के तहत ही निस्तारित किया जा सकता है अतः किस्म में परिवर्तन करने की शक्तियां राजस्व अधिकारियों को नहीं होने से तथा उक्त प्रकरण क्षेत्राधिकार के बाहर होने से खारिज/अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में किस्म परिवर्तन की शक्तियां प्राप्त नहीं होने तथा क्षेत्राधिकार के बाहर होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.11 13:12:12 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचोर

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचोर

Scanned with OKEN Scanner